

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल.

क्रमांक/डी-17-18/2018/14-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08 जनवरी, 2019

आयुक्त
संभाग.....समस्त
कलेक्टर
जिलासमस्त

विषय:- प्रदेश के किसानों की फसल ऋण से मुक्ति हेतु "मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2019

—00—

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में संदर्भित निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का कड़ाई से समय सीमा में पालन सुनिश्चित किया जावे। "मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना" के क्रियान्वयन में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों/निगमों/मण्डलों/निकायों के मैदानी कर्मचारियों/अधिकारियों के सहयोग से क्रियान्वित किया जावे। जिला स्तर पर कलेक्टर, अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकास खण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।

22
21/1/19

01. दिनांक 08 जनवरी, 2019 से :-

- (i) मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के लाभान्वित किसानों के ऋण प्रदाता संस्था/बैंक शाखा में फसल ऋण खाते के आधारकार्ड सीडिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जावे।
- (ii) इस कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने हेतु जिला कलेक्टर्स द्वारा प्रत्येक बैंक शाखा/समिति के लिए ग्रामवार दिवस नियत किए जावें। शासकीय कर्मचारी को आवश्यक समन्वय तथा आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखा/समिति में किसानों को गाईड करने के लिए कर्तव्यस्थ किया जावे। उक्त कार्य 5 फरवरी, 2019 तक सतत निरन्तर चलता रहे।

02. दिनांक 15 जनवरी, 2019 से :-

- (i) प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय एवं बैंक शाखा समिति में आधार सीडेड फसल ऋण खातों के लिए संभावित पात्र किसानों की हरी सूची एवं गैर आधार सीडेड सफेद सूची पोर्टल से प्राप्त कर चस्पा की जावेगी।
- (ii) सुनिश्चित किया जावे की पोर्टल पर बैंक शाखा/समिति द्वारा समस्त आवश्यक जानकारी लोड की गई है तथा पोर्टल से ग्राम पंचायतवार सूचियाँ चस्पा की जाने हेतु प्राप्त कर ली गई हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय में आधी-अधूरी सूचियाँ प्रदर्शित नहीं की जावे।
- (iii) 25 जनवरी से पहले समस्त संबंधित ग्राम पंचायत की सर्विस एरिया की समस्त बैंक शाखाओं/समितियों की हरी तथा सफेद सूची प्रदर्शित हों।
- (iv) सूची प्रकाशन/ चस्पा होने के उपरान्त आधार कार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर-आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ-लाईन प्राप्त किए जावे। नगरीय निकायों में भी आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे ताकि नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमिधारी ऋणी किसान नगरीय निकाय में आवेदन जमा कर सके। जिन किसानों के नाम दोनों सूचियों में नहीं हैं अथवा उन सूचियों में त्रुटिसुधार हेतु दावा-आपत्ति के लिए गुलाबी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में जमा कराने होंगे। कृषि विभाग द्वारा हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में मुद्रित कराकर 13 जनवरी की प्रातः तक जिला मुख्यालय पर प्रदाय किये जा रहे हैं। इन आवेदन पत्रों को समुचित संख्या में ग्राम पंचायतवार तथा बैंक शाखाओं में रखने की व्यवस्था की जावे। कृषि विभाग द्वारा ई-मेल से प्रारूप (मय फोर्मेट) भी भेजा जा रहा है। अधिक आवेदनों की आवश्यकता पड़ने पर उक्त फोर्मेट अनुसार अतिरिक्त आवेदन पत्र भी जिला स्तर पर छपवाये जा सकते हैं। हरे, सफेद तथा गुलाबी आवेदन पत्रों की प्रति परिशिष्ट-1 (अ), (ब) तथा (स) पर संलग्न हैं।
- (v) प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत के सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक के साथ ही वर्ग-3 से अनिम्न स्तर का शासकीय कर्मचारी नोडल अधिकारी के रूप में कर्तव्यस्थ किया जावे, जो 5 फरवरी तक ग्राम पंचायत कार्यालय में समस्त हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने का कार्य संपन्न करेगा।
- (vi) नोडल कर्मचारी आवेदक कर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पूर्ण भरे हैं, त्रुटिपूर्ण नहीं हैं तथा हस्ताक्षरित हैं, इसे भी सुनिश्चित करेगा।

02
भाग

(vii) नोडल अधिकारी के द्वारा ही आवेदन पत्रों की पावती रसीद जारी की जावेगी तथा प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्रों को रजिस्टर में इन्द्राज करेगा।

03. दिनांक 26 जनवरी, 2019 से :-

दिनांक 26 जनवरी 2019 को ग्राम सभा का आयोजन किया जावेगा जिसमें उस दिनांक तक हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र भरकर देने वाले आवेदकों की सूची पढ़ी जावेगी। साथ ही ऐसे किसान बंधुओं के नाम भी पढ़े जावेंगे जिनका नाम हरी अथवा सफेद सूची में है किन्तु उनके द्वारा आवेदन पत्र 25 जनवरी तक जमा नहीं किए हैं।

04. 27 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक :-

- (i) हरी एवं सफेद सूची के शेष नाम, जिन्होंने आवेदन भरकर नहीं दिया है उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जावे।
- (ii) प्राप्त आवेदन पत्रों की डाटा इन्ट्री का कार्य पोर्टल पर कराया जावेगा। इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर को हार्डवेयर एवं मैनपावर की व्यवस्था करनी होगी। इस कार्य हेतु आवश्यक केन्द्रों की स्थापना की जावे।
- (iii) जानकारी पोर्टल पर अपलोड होते ही SMS से किसान को सूचना चली जावेगी। कलेक्टर द्वारा पोर्टल पर जो भी डाटा इन्ट्री होगी उसकी प्रतिलिपि आवेदक किसान को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे।
- (iv) गुलाबी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जावेगा। जहाँ बैंक शाखा द्वारा अपने अभिलेखों से पुष्टि की जावेगी। दावा/आपत्ति सही होने पर पोर्टल की जानकारी को बैंक शाखा द्वारा सुधार किया जावेगा।

05. 5 फरवरी से 10 फरवरी :-

- (i) ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों को डाटा इन्ट्री सेन्टर पर इनपुट किया जावेगा। पोर्टल की जानकारी बैंकों को ऑन-लाईन accessible होगी। पोर्टल की ऋण खाते की जानकारी का सत्यापन, आधारकार्ड प्रमाणीकरण का कार्य किया जावेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में अगर आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ हो तो उसका राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा UIDAI के पोर्टल से बैंक द्वारा अभिप्रमाणन कराया जावे। सहकारी बैंकों के ऋण खातों का आधार अभिप्रमाणन MAP-IT के द्वारा अधिकृत Authentication User Agency (AUA) के माध्यम से कराई जावे।

28
8/1/19

- (ii) पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) display होंगे, इससे सभी बैंक शाखाओं/समितियों को ऐसे दावे की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा उनके द्वारा ऐसे प्रावधिक दावे पर आपत्ति की जा सकेगी।

06. 10 फरवरी से 17 फरवरी :-

- (i) बैंक शाखा/समिति इन 7 दिवसों के अंदर पोर्टल पर प्रावधिक दावा (Provisional Claim) पर आपत्ति की, अगर कोई हो तो दर्ज करने की व्यवस्था की जावेगी।
- (ii) ऐसे फसल ऋण खाते जिनमें हरी/सफेद सूची के आधार पर आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, आधार अभिप्रमाणन हुआ है तथा Provisional Claim पर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, को DLCC के समक्ष परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

07. 18 फरवरी से 20 फरवरी :-

- (i) DLCC की देखरेख में डाटा का सत्यापन तथा प्रमाणीकरण कर प्रत्येक आधार कार्ड पर लिए गए भिन्न-भिन्न ऋण प्रदायकर्ता संस्थाओं की प्रावधिक क्लेम सूची के दावे/आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा तथा निराकरण के उपरांत नियमानुसार अनुशंसा की जावेगी।
- (ii) DLCC से अनुशंसा सहित प्राप्त सूची में भुगतान हेतु प्रथम चरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। भुगतान करते समय बैंक को निम्न क्रम में प्राथमिकता दी जावेगी।

- I सहकारी बैंक
II क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
III राष्ट्रीयकृत बैंक

08. 21 फरवरी :-

- (i) जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा भुगतान के लिए अनुमोदित सूचियों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास से आवंटन की मांग की जावे।
- (ii) गुलाबी आवेदन पत्रों पर संबंधित बैंक शाखा द्वारा किसान की दावा-आपत्ति मान्य किए जाने पर पोर्टल पर विधिवत अपलोड किए जाने का ऑप्शन बैंक शाखा को प्रदान किया जावेगा।

28
११/१९

09. 22 फरवरी से लगातार :-

- (i) लाभान्वित किसान को उसके संबंधित ऋण खाते में DBT (RTGS/NEFT/NACH) के माध्यम से राशि जिला स्तर से जमा कराई जावेगी।
- (ii) भुगतान के समय लाभान्वित किसान को रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भुगतान किए जाने का SMS पोर्टल के माध्यम से होगा।
- (iii) जिन किसानों को इस योजना में लाभ मिलेगा, उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किए जावेंगे। इसका पृथक से प्रारूप प्रेषित किया जावेगा।
- (iv) जिन किसानों के द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 को बकाया को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसम्बर 2018 तक पटाया हो उन्हें योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त "किसान सम्मान पत्र" प्रदाय किए जावेंगे। इसका पृथक से प्रारूप प्रेषित किया जावेगा।
- (v) ऋण मुक्ति प्रमाण पत्रों एवं किसान सम्मान पत्रों का वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन कर किया जावे। इस हेतु कृषि विभाग पृथक से निर्देश जारी कर रहा है।
- (vi) प्रत्येक बैंक शाखा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सूची चस्पा कर प्रदर्शित की जावे।

10. प्रशासकीय व्यय :-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में आने वाले व्यय तथा योजना का प्रचार-प्रसार, रजिस्टर/स्टेशनरी प्रपत्र, हार्डवेयर/मैनपावर, की व्यवस्था आदि के लिए प्रशासकीय व्यय हेतु राशि पृथक से जारी की जा रही है।

योजनांतर्गत उक्तानुसार समय-सीमा में विधिवत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा योजना के क्रियान्वयन में समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें।


(डॉ. सुरेश राजारा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, म.प्र., राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन (समस्त) ।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन (समस्त)
7. सचिव, म.प्र.शासन, (समस्त)।
8. विभागाध्यक्ष (समस्त) म.प्र.।
9. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल।
10. राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल ।
11. राज्य समन्वयक, एस.एल.बी.सी. राज्य समन्वयक बैंकर्स समिति, भोपाल को समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रेषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।
12. संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत- समस्त, को पालनार्थ।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग